निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 वैशाख 1946 (श0)

संख्या 18 **पटना, बुधवार,**

1 मई 2024 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	**2-6**
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	**7-7**
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक,उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	**8-9**
पूरक	---
पूरक-क	---

भाग–1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

वाणिज्य–कर विभाग

———————

अधिसूचना

15 अप्रील 2024

सं0 6/नि0प्रति0नियु0–01–01/2020–1662––विभागीय अधिसूचना संख्या–950, दिनांक–04.06.2020 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–1231, दिनांक–03.07.2020 द्वारा 63वीं बैच के क्रमशः 115 एवं 04 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने के कारण औपबंधिक रूप से नियुक्ति की गयी। उक्त परीक्ष्यमान पदाधिकारियों में से निम्नांकित 04 पदाधिकारियों का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है, जो अनुकूल हैः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम	संयुक्त मेधा क्रमांक	गृह जिला	जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन
1	2	3	4	5	6
1	जयन्ती कुमारी	26	रोहतास	01.01.1993	शाहाबाद अंचल
2	चन्दन कुमार	31	अररिया	19.10.1992	दरभंगा अंचल–1
3	पंकज कुमार	79	धनबाद (झारखण्ड)	05.05.1991	पटना विशेष अंचल
4	श्वेता सिंह	244	रोहतास	14.02.1992	कदमकुआँ अंचल

अतः उपर्युक्त 04 परीक्ष्यमान पदाधिकारियों की विभागीय अधिसूचना संख्या–950, दिनांक–04.06.2020 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या–1231, दिनांक–03.07.2020 के द्वारा की गयी औपबंधिक नियुक्ति को नियमित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण कुमार, संयुक्त सचिव।

———————

नालन्दा समाहरणालय, बिहारशरीफ
(जिला स्थापना शाखा)

———————

आदेश

25 जनवरी 2023

सं0 51–03/22/173/स्था0––प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के पत्रांक–55, दिनांक–20.01.2022 के द्वारा संसूचित किया गया कि श्रीमती रतना कुमारी, पति–स्व0 अजीत कुमार, ग्राम+पो0–पीलीच, थाना–परवलपुर, जिला–नालन्दा की नियुक्ति जिला पदाधिकारी, नालन्दा के आदेश ज्ञापांक–493/स्था0, दिनांक–02.07.2019 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर की गई है। स्थापना उप समाहर्त्ता, नालन्दा के ज्ञापांक–563/स्था0, दिनांक–15.07.2019 द्वारा श्रीमती रतना कुमारी को प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक में लिपिक के पद पर पदस्थापित किया गया, जिसके आलोक में श्रीमती रतना कुमारी द्वारा दिनांक–16.07.2019 को कार्यालय में योगदान किया गया। श्रीमती रतना कुमारी प्रतिदिन पटना से आती–जाती हैं यदा कदा समय पर हीं आयी हैं लेकिन प्रायः 12:30 बजे से 02:00 बजे के बीच आती हैं और 04:00 बजे चली जाती हैं। उन्हें केवल आगत का कार्य आवंटित किया गया था परन्तु वो भी कार्य करने में सक्षम नही रही हैं। इनके इस प्रवृति से कार्यालय के अन्य कर्मियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार दिनांक–19.01.2022 को अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर के क्षेत्र भ्रमण के दौरान प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय कक्ष में कर्मियों की उपस्थिति पंजी की मॉग लगभग 01:00 बजे की गई और कर्मियों के उपस्थिति की जॉच के दौरान श्रीमती रतना कुमारी विलम्ब से कार्यालय आतीं और अनुमण्डल पदाधिकारी के हाथ से उपस्थिति पंजी लेकर वहीं पर हाजरी बनाने लगी जो उनके मनमानीपन को दर्शाता है।

श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 के कार्यालय में अनियमित आने को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, गिरियक के ज्ञापांक–1292, दिनांक–05.10.2020, ज्ञापांक–1442, दिनांक–23.12.2020, ज्ञापांक–1391, दिनांक–15.12.2021 ज्ञापांक–26, दिनांक–07.01.2022, ज्ञापांक–945, दिनांक–27.06.2022, ज्ञापांक–1401, दिनांक–20.09.2022, ज्ञापांक–108, दिनांक–27.01.2023 आदि पत्रों के द्वारा स्पष्टीकरण भी पूछा गया लेकिन श्रीमती रतना कुमारी के द्वारा उसका कोई जबाब नही दिया गया।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के ज्ञापांक–781, दिनांक– 17.07.2021 के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि श्रीमती रतना कुमारी दिनांक–01.07.2021 से 13.07.2021 तक कार्यालय से अनुपस्थित रहीं तथा उक्त तिथियों के हाजरी वहीं में क्रॉस का निशान लगाने के बाबजुद बिना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के अनुमति के उक्त अनुपस्थिति अवधि में अपनी उपस्थिति दर्ज कर दी गई, जो उनके स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। उक्त पत्र के आलोक में इस कार्यालय के ज्ञापांक–1191/स्था0, दिनांक–06.09.2021 के द्वारा श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0, से स्पष्टीकरण की मॉग की गई। उक्त के आलोक में सहायक समाहर्त्ता (परीक्ष्यमान)–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के पत्रांक– 1241, दिनांक–22.10.2021 के द्वारा उनका स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया तथा उक्त पत्र में यह भी अंकित किया गया कि पूर्व में भी कई बार स्पष्टीकरण उनके द्वारा भी पूछा गया परन्तु इनके कार्य कलाप में कोई सुधार नही हो रही है।

उपरांकित वर्णित तथ्यों के आलोक में श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया, जिसके आलोक में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के पत्रांक–58, दिनांक–17.01.2023 के द्वारा आरोप पत्र गठित किया गया, जिसे अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर के पत्रांक–215/सा0, दिनांक–25.01.2023 के द्वारा अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया। प्राप्त पत्र एवं संलग्न आरोप पत्र के आलोक में इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–289/स्था0, दिनांक–17.02.2023 के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर को संचालन पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर के पत्रांक–65/मु0/सा0, दिनांक–09.05.2023 के द्वारा संचालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :–

➢ **वस्तुस्थिति यह है कि**

1. उपस्थिति पंजी में हाजरी काटने के बावजूद उस पर मनमानी तौर पर हस्ताक्षर बना देना।
2. प्रतिदिन कार्यालय विलम्ब से अर्थात 12 बजे, 01 बजे आना।
3. प्रतिदिन समय से पहले अर्थात 03:15 बजे चले जाना।
4. समय से आने हेतु एवं समय से जाने हेतु कहने पर कर्मियों से झगड़ा करना एवं ऑफिस का महौल खराब करना।
5. कार्यालय का कोई भी कार्य नहीं करना।

श्रीमति रतना कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक के विरूद्ध लगाये गये आरोप एवं आरोपी का कारणपृच्छा, उपस्थापन पदाधिकारी का मंतव्य एवं संचालन पदाधिकारी का अभिमत निम्न प्रकार समर्पित है :–

➢ **आरोप** :–

1. उपस्थिति पंजी में हाजरी काटने के बावजूद उस पर मनमानी तौर पर हस्ताक्षर बना देना।
2. प्रतिदिन कार्यालय विलम्ब से अर्थात 12 बजे, 01 बजे आना।
3. प्रतिदिन समय से पहले अर्थात 03:15 बजे चले जाना।
4. समय से आने हेतु एवं समय से जाने हेतु कहने पर कर्मियों से झगड़ा करना एवं ऑफिस का महौल खराब करना।
5. कार्यालय का कोई भी कार्य नहीं करना।

➢ **आरोपी का स्पष्टीकरण** :–

1. **उपस्थिति पंजी में हाजिरी काटने के बाबजूद उस पर हस्ताक्षर बना–देना**– शमीम रब्बानी– जी सर सिर्फ और सिर्फ मेरी ही हाजिरी काटते है। रजिस्टर छुपा देते है और बहाना से हाजिरी नहीं बनाने देते है। और हाजिरी काट देते हैं। अपनी और सबो की नहीं काटते उल्टा बनाते है। रतना कुमारी की सी0एल0 भी कटती है। और सबों की नहीं काटते ।
2. **प्रतिदिन कार्यालय विलम्ब से अर्थात् 12 बजे, 01 बजे आना**– सर हम (रतना कुमारी) Time पर आते है। कभी–कभी जब बच्चों की फीस जमा करना होता है। तब मैं 12:00 बजे या 01:00 बजे आती हूँ। उसमे भी B.D.O. सर सुबह फोन नहीं उठाते इसलिए मैं मैसेज करके B.D.O. सर को खबर दे देती हूँ।
3. **प्रतिदिन समय से पहले अर्थात् 3:15 बजे चले जाना**– लास्ट दिसम्बर या शुरूआत जनवरी में जब दिन रात अंधेरा रहता था। उसमें 01 दिन मैं 03:15 बजे गई थी, वही सर लिखे हुये है।
4. **समय से आने हेतु एवं समय से जाने हेतु कहने पर कर्मियों से झगड़ा करना एवं ऑफिस (कार्यालय) का माहौल खराब करना**– ये सब लोग खुद अपने ही लड़ते है और कहते हैं मैं कार्य करती हूँ। हमसे (रतना कुमारी) से कार्य तो, सब तरह का कार्य ब्लॉक का करवा भी लेते है और कहते है कार्य नहीं करती है। मैं क्यों लड़ूँगीं। मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। यही लोग पूर्णतः आपस में भिड़े रहते है।
5. **कार्यालय का कोई भी कार्य नहीं करना**– मेरा (रतना कुमारी) का कार्य विद्या कुमारी Madam को बुलाकर छीन लिया गया है।

अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन :–

1. ये कहना है कि पटना से आते है ये क्या कम है–इन्हीं लोग कहते है। मैं (रतना कुमार) नहीं। ये सब भी दूरी से ही आते–जाते है। या कहे कि पटना से ही जाते–जाते है और झूठ बोलते है।
2. सारा कार्य करवा लिया जाता है और छीन कर कहा जाता है कार्य नही करता है–जब मारने के लिए दौड़ता है तो कार्य मुझे (रतना कुमारी) को दे दिया जाता है या जब भीड़ Control करना होता है या कहे कि प्राण की

आफत आती है तो सभी छिप जाते है और मुझे Controlling करते हुए लिखने–पढ़ने का आदेश दिया जाता है।

मैं जाती हूँ निहत्था–निशस्त्र सारा भीड़ Control करते हुए अपनी भी प्राण बचा लोगों को (भीड़ को) कुशल देख मुझे कोरोना के बहाना से आदेश देकर B.D.O. धर्मवीर कुमार ने बुलवाया या कहे खुद बुलाया। फिर विकलांग का आदेश हुआ। मुझसे कोई लड़ाई नहीं करता क्योंकि मैं पैसा नही लेती सिर्फ कार्य करती हूँ।

यहॉ तक डिफिक्लट शब्द का उच्चारण या लड़ाई–झगड़े के डर से कि मारने लगेगा, तो मुझसे (रतना कुमारी) से बोर्ड प्रखण्ड कार्यालय या जगह–जगह लिखवायी जाती है और कहा जाता कार्य नही करती है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक–1155 दिनांक–23.04.2021 के द्वारा आगत पंजी संधार करने का कार्य आवंटित किया गया था, ये गलत है सो कैसे मै कहती हूँ।

मेरे B.D.O. निर्मल कुमार जी ने आदेश दिया होगा। पर शमीम रब्बानी जी सर ने अपनी मनमानी और विद्या Madam से करवाने के लिए Letter को छुपा (चाप) दिया और कहा गया कि दे दिया गया है, ये गलत है मुझे ख्याल है। 15 दिन या 01 महिना से ज्यादा कार्य नहीं की हूँ। सो आगत पंजी देख ली जाय। कोई भी आरोप गलत है।

अनुमण्डलाधिकारी (महाशया) के आदेश से कि आगत की संचिका पंजी होना चाहिए। मैं मॉगती नही कि Madam ने आगत संचिका का आदेश दिया है सो मैं करूँगीं पर शमीम रब्बानी जी ने कहा वो सब नहीं होता है और सभी कहे इतना Madam (अनुमण्डलाधिकारी) जानती है क्या। वो सब नहीं होता।

मुझे ये भी कार्य नहीं दिया गया, क्या करूँ। मारपीट की बारी आती है तो समय–समय पर विद्या जी Madam घर बैठ जाती है। तो मुझसे 15–20 Letter चढ़वाया जाता है, और कहते हैं कार्य नही करती है। वो भी कार्य विद्या जी Madam के द्वारा शमीम रब्बानी जी की मदद से मुझसे (रतना से) छिन लिया जाता है।

क्या करूँ। मैं पंजी लेती हूँ कि ये मेरा (रतना) का कार्य है और करती हूँ। विद्या Madam का आदेश कहती है शमीम जी सर से कि मै (विद्या) आगत का कार्य करूँगी जबकि विद्या कुमारी ने अपनी दस्तखत (हस्ताक्षर) कर और मेरी (रतना) का हस्ताक्षर ले आगत पंजी रतना (मै) दिया गया था। फिर भी शमीम रब्बानी जी सर ने हमसे (रतना कुमारी) से छीन लिया और स्पष्टीकरण लिखवाई मैं (रतना) लिखी जिससे करवाया जाए मुझे ऐतराज नहीं क्योंकि मेरे B.D.O.(निर्मल कुमार जी) ने कहा था कि Letter आप नहीं लेती आपको नहीं दिया जात (रामदेव सर और) (विद्याजी Madam) लेते थे।

फिर Last शमीम रब्बानी जी दस्तखत कर मुझे मिलती थी। सो निर्मल कुमार जी ने रतना को आदेश दिया जैसा सब चाहता है वैसा करें मैं B.D.O .साहेब के आदेश का पालन की क्या करूँ।

B.D.O.साहेब ने कहा अभी आपको परीक्षा हिन्दी टिप्पणी प्रारूपण परीक्षा भी देनी है सो आज्ञा पालन की।

4. मै (रतना कुमारी) किसी भी कर्मी से नहीं लड़ती मुझे किसी से लड़ाई नहीं है। क्योंकि इन्ही लोगों का कहना है कि कार्य नही करती।

बल्कि इन्हीं लोग (यही सब लोग) लड़ते–झगड़ते रहते है कि मैं कार्य–कार्य करती रहती हूँ।

5. 07.09.2022 को जब मुझे (रतना) को काम और वेतन नहीं दिया गया। तो, मेरा भी DM साहेब है उन्ही से काम और वेतन की मॉग की तो वो (DM) साहेब बोले वेतन मिलेगा कहने के बाबजूद वेतन 02 महिने बाद–2 महीने का ही मिला। मुझे 03 वर्ष पर वेतन मिला। फिर मिला 2–4 महिना लेट या कहे 06–07 महिना लेट या 9 महीना लेट मिला।

रतना पर आरोप Letter फाड़ने और जलाने का काम शमीम रब्बानी जी ही किया करते है।

आज से डेढ़ साल करीब पहले 10 महिला के पति बिजली (Current) से मरे थे तो पारिवारिक लाभ में 02 लाख (2,00000) रूपया की मॉग थी, जो मनोज कुमार नाजिर ने इनकार किया तो शमीम रब्बानी जी ने लेटर फाड कर जला दिया। वो ऐसा ही किया करते है।

द्ुबारा Letter (लेटर) लिख मिला। लेटर फाड़ना और जलाना शमीम रब्बानी जी अपने करते है वो तो रतना को Letter या कोई पंजी छुने भी नहीं देते। सिर्फ टौरचर–परेशान और हरास करते है। इसलिए रतना के द्वारा प्रपत्र–'क' का भरा–जाना गलत हीं नहीं निराधार भी है। गलत ही नही 100 प्रतिशत गलत है। किसी से पूछ लिया जाय।

आगे–आपकी निर्णय। गिरियक ब्लॉक को सूक्ष्म रूप से जॉच की जाय।

उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक का प्रतिवेदन एवं मन्तव्य :–

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के पत्रांक–483, दिनांक–14.04.2023 से प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी श्रीमति रतना कुमारी, निम्न वर्गीय लिपिक, प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक प्राप्त स्पष्टीकरण का परिसीलन किया जिससे परिलक्षित होता है कि आरोपी

1. श्रीमति रतना कुमारी, प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक में दिनांक–16.07.2019 को योगदान किया गया। योगदान से लेकर आज तक कार्यालय का कोई कार्य नहीं करना और प्रतिदिन पटना से 12:00 बजे आना और 3:15 बजे चले जाना इनका दिनचर्या बना हुआ है। इस से कार्यालय के अन्य कर्मियों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है।
2. कार्यालय बिलम्व से आने पर उपस्थिति पंजी पर मेरे निदेशानुसार हाजरी काटी जाती है, जिस पर इनके द्वारा उपस्थिति दर्ज की जाती है, जिसकी छायाप्रति प्रपत्र 'क' में संलग्न कर भेजा गया है।
3. कभी–कभी अर्थात विगत सालों में ये 03:00 बजे आई और कटे हुए हाजरी पर उपस्थिति दर्ज कर शीघ्र वापस चली गई है। इससे भी कार्यालय कर्मी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हें
4. कार्यालय पत्रांक–1155 दिनांक–23.04.2023 द्वारा आगत इन्हें कार्य दिया गया। आगत एक महत्वपूर्ण कार्य होता था। जब इनके कार्य ससमय निष्पादन करने के लिये कहा जाता था तो उसको विपरीत प्रक्रिया आगत पंजी को एवं अन्य कार्यालयों से आये पत्रों को जैसे–तैसे फेक कर 03:15 बजे कार्यालय से चली गई। इसके लिए बोलने पर यह कहते है की हमकों डी0एम0 साहेब सीधा करने के लिए भेजे है।
5. श्रीमति रतना कुमारी के द्वारा प्रायः विलम्ब से आना एवं समय से पहले चले जाने के कारण इन्हें कई स्पष्टीकरण पूछने पर कोई सुधार नहीं होने के करण इनका वेतन स्थगित कर दिया गया था।

   विदित हो कि दिनांक–07.09.2022 को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक के निरीक्षण के क्रम में जब जनप्रतिनिधियों से समीक्षा हो रही थी तो रतना कुमारी के द्वारा दो बार उदण्डता पूर्वक जिला पदाधिकारी के समक्ष पेश आई। जिसे जिला से आये सभी पदाधिकारी ने देखा। ऐसी परिस्थिति में उस समय सी0डी0पी0ओ0 गिरियक द्वारा इन्हें रोका गया।

   पुनः दूसरी बार कार्यालय वेशम में जिला पदाधिकारी महोदय का निरीक्षण के समय भी दो बार उदण्डता पूर्व रतना कुमारी गई। जिस पर जिला पदाधिकारी महोदय संज्ञान लेते हुए मुझसे पूछा गया कि क्या बात है तो मैंने सारी बातों से जिला पदाधिकारी महोदय को अवगत कराया। तत्पश्चात् उनके द्वारा आदेश दिया गया कि प्रपत्र 'क' क्यो नहीं भेजे? आदेश दिया गया कि प्रपत्र 'क' भेजा तथा वेतन भुगतान करो।

   आदेशानुसार प्रपत्र 'क' तैयार कर भेजा गया। जब से प्रपत्र 'क' तैयार कर भेजा गया या और कारण पृच्छा तब से प्रखण्ड कार्यालय के कर्मियों से और उदण्डता पूर्वक पेश आने लगी हैं।

   इनके उदण्डता पूर्ण रवैया के कारण और कार्यालय का कोई कार्य नहीं करने की सूचना जिला स्थापना को दिया जाता रहा है और इनके स्थानांतरण के लिए अनुरोध भी हमेशा किया गया है।
6. श्री शमीम रब्बानी, उच्च वर्गीय लिपिक (उर्दू) के पद कार्यरत हैं इनसे उर्दू के अतिरिक्त प्रधान अंकेक्षण एवं समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निदेश का पालन करना। किसी अन्य कर्मी से कराना सम्भव नहीं है। राजभाषा उर्दू कर्मियों से प्रधान सहायक एवं लेखा सहायक का कार्य कराने का विभाग द्वारा निदेश नहीं है। वाबजूद लिपिक के कर्मी के अभाव में इनसे कार्य लिया जा रहा है।
7. ज्ञातव्य हो कि प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक विगत कई माह पूर्व भवदीय आई थी। लगभग 12:00 बजे समय था उपस्थिति पंजी चेक करने के क्रम में उसी समय आपके समक्ष रतना कुमारी आई और आप से उपस्थिति पंजी लेकर हाजरी बनाने लगी। जब उच्च पदाधिकारी का कोई ख्याल नहीं करती हैं तो प्रखण्ड कार्यालय कर्मी को क्या समझेगी।
8. वर्तमान में बायोमेट्रिक मशीन लगने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा हैं वही 11:00 बजे आना और 3:20 में चले जाना रोज का नियम बना है। जो कर्मी प्रतिदिन पटना से लायेगी और जायेगी। तो कार्यालय का क्या कार्य करेंगी। जहॉ तक वेतन भुगतान करने का प्रश्न है तो कार्यालय में संधारित वेतन भरपाई पंजी की जॉच से महोदया को स्पष्ट हो जायेगी की वेतन कब रोका गया है।
9. इनके द्वारा एक नया नियम निकाला गया कि कार्यालय आकर उपस्थिति दर्ज कर तुरंत आवेदन में यह उल्लेख कर बच्चे का फीस जमा करना है। बैंक से रूपया निकालना हे लिखकर तुरंत चली जाती है। इसे देख कर सभी कर्मी हैरान एवं मूक दर्शक बन कर रह जाता है और कुछ बोल भी नहीं पाते हैं।

   अतः उपरोक्त कारण पृच्छा के संबंध में कहना है कि श्रीमति रतना कुमारी के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया है वह निराधार एवं सत्य से परे है। कुछ दिन पहले गिरियक प्रखण्ड के सभी कर्मी के द्वारा आवेदन दिया गया कि इस महौल में हमलोग काम नहीं करेगें। इसकी सूचना जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित की गई है।

संचालन पदाधिकारी का अभिमतः–आरोपी का कारण पृच्छा एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह– प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि आरोपी का कारणपृच्छा संतोषप्रद नहीं है। उपस्थापन पदाधिकारी–सह–प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि आरोपी पर लगाया गया आरोप सही प्रमाणित होता है।

अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर के द्वारा समर्पित उपरांकित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में आरोपी कर्मी श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 से इस कार्यालय के ज्ञापांक–1454/स्था0, दिनांक–26.09.2023 के द्वारा द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गई। श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 के द्वारा दिनांक–06.10.2023 को द्वितीय कारण–पृच्छा समर्पित किया गया, जिसका अवलोकन किया गया। द्वितीय कारण–पृच्छा में भी आरोपी कर्मी श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर को समर्पित किये गये कारण–पृच्छा की छायाप्रति हीं समर्पित किया गया।

संचिका में संलग्न आरोपी कर्मी श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी, राजगीर के द्वारा समर्पित संचालन प्रतिवेदन एवं आरोपी कर्मी द्वारा समर्पित द्वितीय कारण–पृच्छा के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी कर्मी श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 के विरूद्ध गठित आरोप जॉच के क्रम में सही साबित हुआ है। श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0, प्रखण्ड कार्यालय गिरियक में अपने पदस्थापना समय से हीं कार्यालय आने–जाने में मनमानी पूर्ण रवैया अपनाती गई हैं तथा कभी भी नियमित तथा ससमय उनके द्वारा कार्यालय में नही आया गया है। इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के द्वारा आरोपी कर्मी से कई बार स्पष्टीकरण की मॉग की गई लेकिन उनके द्वारा कोई भी संतोषप्रद उत्तर नही दिया गया। यहॉ तक कि कार्यालय से लगातार अनुपस्थिति के बाद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के द्वारा अनुपस्थिति पंजी में लगाये गये क्रॉस पर भी उनके द्वारा बाद में बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के उक्त अनुपस्थिति अवधि का उपस्थिति पंजी में उपस्थिति दर्ज की गई। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गिरियक के द्वारा आवंटित कार्य को भी उनके द्वारा कभी भी निष्ठापूर्वक निष्पादित नही किया गया। वरीय पदाधिकारी के कार्यालय निरीक्षण के क्रम में भी आरोपी कर्मी के द्वारा बिहार सेवा संहिता में एक सरकारी कर्मी के लिए निर्धारित मानकों एवं आचरण के प्रतिकूल जाकर कार्य किया गयां, जो आरोपी कर्मी के अपने कार्यो के प्रति लापरवाही, मनमानेपन, अनुशासनहीनता की श्रेणी को दर्शाता है तथा नियंत्री पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी के आदेश के उल्लंघन को भी परिलक्षित करता है। आरोपी कर्मी के उक्त आचरण से कार्यालय कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा आरोपी कर्मी के उक्त क्रियाकलाप से अन्य कर्मियों के अनुसरण से भी इनकार नही किया जा सकता है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव कार्यालय कार्य संस्कृति पर पड़ सकता है। संचिका में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा तथ्यों के विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि आरोपी कर्मी श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0, कार्य करने में सक्षम नही हैं। आरोपी कर्मी का उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत दण्डनीय है।

अतः मैं शशांक शुभंकर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, नालन्दा, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 14 के (ix) के तहत निम्नांकित दण्ड अधिरोपित करता हूँः–

1– अनिवार्य सेवानिवृति का दण्ड।

5– आरोपी कर्मी श्रीमती रतना कुमारी, नि0व0लि0 से संबंधित विवरणी निम्नवत् हैः–

1.	सरकारी सेवक का नाम	:–	श्रीमती रतना कुमारी,
2.	पदनाम	:–	निम्नवर्गीय लिपिक
3.	वेतनमान	:–	लेवल–02 (19900–63200)
4.	जन्म तिथि	:–	08.06.1972
5.	नियुक्ति की तिथि	:–	04.07.2019
6.	स्थाई पता	:–	ग्राम+पो0–पीलीच, थाना–परबलपुर, जिला–नालन्दा।
7.	पदस्थापन कार्यालय	:–	प्रखण्ड कार्यालय, गिरियक सम्प्रति अंचल कार्यालय, करायपरसुराय।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
जिला पदाधिकारी, नालन्दा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

ग्रामीण कार्य विभाग

शुद्धि–पत्र

26 दिसम्बर 2023

सं0 11/अ0प्र0–13–17/2017–369––विभागीय संकल्प सं0–6800 दिनांक–28.11.2023 द्वारा विभागाधीन कार्यालयों को सशक्त एवं संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ करने हेतु नये कार्यालयों का सृजन सहित पूर्व सृजित कार्यालय को पुनर्गठित किया गया है। इस संकल्प के साथ संलग्न सारणी–I में पूर्व सृजित कतिपय कार्यालयों को नये नाम/स्थान से नामांकित/सम्परिवर्तित/समाहित किया गया है।

उक्त संकल्प के कंडिका–16 के प्रावधानानुसार सारणी–I के 03 पुनर्गठित कार्यालय को संशोधित करते हुए (1) क्रम सं0–07 में अंकित जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, दानापुर को जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, आरा, (2) क्रम सं0–08 में अंकित जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, बाढ़ को जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, नालन्दा तथा (3) क्रम सं0–09 में अंकित जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, मसौढ़ी को जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद के रूप में नामांकित किया जाता है।

उक्त संशोधन के फलस्वरूप सारणी–I के क्रम सं0–07, 08 एवं 09 में अंकित प्रविष्टियॉ निम्नांकित रूप में परिवर्तित हो जाएगीः–

सारणी–I का क्र0 सं0	वर्त्तमान नाम एवं स्थान	पुनर्गठन के पश्चात् नये नाम एवं स्थान
07	ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रमंडल–01, पटना	जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, आरा
08	ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रमंडल–02, पटना	जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, नालन्दा
09	ग्रामीण कार्य विभाग, अग्रिम योजना प्रमंडल–03, पटना	जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रमंडल, औरंगाबाद

शेष यथावत रहेंगे।

आदेश से,
पंकज कुमार पाल, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि ।

सूचना

———————

सं0 419––शिंजिनी पति अमन किशोर, निवासी फ्लैट नंबर-302, श्री राम प्लेस, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड, थाना- बुद्धा कॉलोनी, पटना- 800001 संदर्भ शपथ पत्र संख्या-3583 दिनांक 26.08.2023 के माध्यम से घोषणा करती हूँ कि मैंने अपना नाम शिंजिनी से बदलकर शिंजिनी अमन किशोर कर लिया है। आज से एवं भविष्य में मैं शिंजिनी अमन किशोर के नाम से जानी जाउंगी।

शिंजिनी।

No. 419––I, Shinjini W/o Aman Kishore, R/o Flat No.-302, Shree Ram Place, East Boring Canal Road, P.S. Buddha Colony, Patna- 800001 do solemnly affirm and declare vide Affidavit No.3583 Dtd. 26.08.2023 that I have changed my name from Shinjini to Shinjini Aman Kishore. From today and in future shall be Known as Shinjini Aman Kishore.

Shinjini.

———————

सं0 420––मैं, निक्की कुमारी (Nikkee Kumari), पिता-कन्हैया झा, निवासी-कोर्थे, वार्ड नं. -02, कोरथो पार्ट इन घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार-847103, शपथ पत्र सं-176 दि. 21.08.23 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम निक्की कुमारी दिव्येश योगानन्दी (Nikkee Kumari Divyesh Yoganandi) दर्ज है, जो गलत है। मेरे सारे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा नाम निक्की कुमारी (Nikkee Kumari) दर्ज है, जो सही है। सभी कार्यों हेतु अब मैं निक्की कुमारी (Nikkee Kumari) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

निक्की कुमारी (Nikkee Kumari).

———————

No. 421––I, Shakeel Ur Rahman S/o- Habibur Rahman Residence of Courahe Ki Masjid K.B.M. Road, Lodi Katra, Patna City, P.S.- Chowk, P.O.- Jhauganj, Dist- Patna, Pin Code – 800008, Bihar hereby solemnly affirm and declare by as per affidavit No. 2102 Dated – 18-03-2024. That my name is incorrectly written as Md Shakeel in my daughter Rounaque Perween 10th certificate by CBSE Bearing Roll No. 7160205, Passing years 2014, although my correct name is Shakeel Ur Rahman and I Shall be known as Shakeel Ur Rahman for all purpose.

Shakeel Ur Rahman.

———————

No. 435––I, RAHMATULLAH, S/o Late Syed Mohammad Asadullah, R/o at New Millat Colony, Sector-1, Near B.M.P.-16, P.S.-Phulwari Sharif, Post-KHAGAUL (801105), Distt-Patna, (Bihar) declare vide Affidavit No.-6511 dated 17/08/2022. That my name is RAHMATULLAH and Syed Neyamatullah is my son, in his School Records/Aadhar Card/Pan Card/Voter I.D. Card/Pass Port and other relevant documents my name has been wrongly written as SYED RAHMATULLAH and NAJIMA KHATOON (NAZMA KHATOON) is my wife, in her Land Registry Deed No.-3906 & 1149 my name has been wrongly written as SYED RAHMATULLAH. That I know and identify by both names. That RAHMATULLAH and SYED RAHMATULLAH both names are related with same and one person. That in future I will be known as RAHMATULLAH for all purposes.

Rahmatullah.

No. 436––I, NAJIMA KHATOON, W/o Rahmatullah, R/o at New Millat Colony, Sector-1, Near B.M.P.-16, P.S.-Phulwari Sharif, Post- Khagaul (801105), Distt.- Patna, (Bihar) declare vide Affidavit No.-6510 dt.-17/08/2022. That my name is NAJIMA KHATOON, and Syed Neyamatullah is my son, in his Pass Port my name has been wrongly written as NAJMA KHATOON and my another sons Syed Barkatullah and Syed Heyatullah in his School Records and Passport my name has been wrongly written as NAZIMA KHATOON and my Land Registry Deed No.-3906 & 1149, Thana No.-38, Tauzi No.-5486, Khata No.-660 and Khesra No.-91 my name has been written as NAZMA KHATOON. That I know and identify by both names NAJIMA KHATOON/NAZIMA KHATOON and NAZMA KHATOON both names are related with same and similar person. That in future I will known as NAJIMA KHATOON for all purposes.

NAJIMA KHATOON.

———————

No. 437––I, BIBHA devi w/o Shailesh kumar, R/O Barauni-3 Ward -4, po-barauni deorhi, dist-begusarai, pin-851113, In my son Aditya vardhan's CBSE Matric Grade sheet cum Certificate of performance my name is worngly mentioned as Bibha Kumari. Bibha kumari and Bibha devi both are me but my correct name Bibha devi. Affidavit no 3409, Date 16-10-2023.

BIBHA devi.

———————

सं0 438––मैं, रेणु देवी, पति-मनोज कुमार मेहता, निवासी-भीतरी बेगमपुर, थाना-चौक, पो. -बेगमपुर, जिला-पटना-800009 बिहार शपथ पत्र सं. 114 दि. 16.02.24 द्वारा यह सूचित करती हूं कि मेरी पुत्री अक्षरा मेहता के मैट्रिक (Xth) एवं इंटर (XIIth) के सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम रेणु मेहता दर्ज हो गया है, जो गलत है। आधार कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम रेणु देवी है। भविष्य में सभी कार्य हेत्तु रेणु देवी के नाम से जानी जाऊंगी।

रेणु देवी।

———————

सं0 440––मैं, रंजना कुमारी पति-श्री मुकेश कुमार ठाकुर निवासी ग्राम-सेरना, पो. थाना - कॉटी, जिला-मुजफ्फरपुर बिहार शपथ पत्र सं 818 दि. 16.02.24 द्वारा सूचित करती हूं कि मेरे पुत्र साहिल राज के सी. बी.एस.ई. द्वारा 10 वीं उत्तीर्ण वर्ष 2021 के अंक प्रमाण पत्र रौल नं. 22194672 में मेरा नाम रंजना देवी दर्ज हो गया है जो गलत है। मेरा सही नाम रंजना कुमारी है। आगे सभी कार्य हेतु मैं रंजना कुमारी के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी।

रंजना कुमारी।

———————

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 6—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in